भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1269

जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कॉलेजियम प्रणाली के प्रतिकूल प्रभाव

1269. श्री मुरारी लाल मीना :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के लगभग 33 प्रतिशत और उच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत न्यायाधीश उन परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं जो पूर्व में न्यायपालिका में उच्च पदों पर रह चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त स्थिति मुख्य रूप से कॉलेजियम प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई है जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों द्वारा की जाती है और यदि हां, तो क्या इससे पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की पीड़ीगत (पहली पीड़ी/दूसरी पीड़ी) की पृष्ठभूमि के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिवक्ताओं को पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन

की जाती है, जिनमें किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः, न्यायाधीशों में किसी भी जाति या वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोटिवार आँकड़े केंद्र स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। सन् 2018 से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद हेतु अनुशंसित व्यक्ति को अपने सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण निर्धारित प्रारूप (जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया है) में देना आवश्यक है। अनुशंसित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2018 से 02.02.2026 तक नियुक्त किए गए कुल 848 न्यायाधीशों में से 33 अनुसूचित जाति वर्ग से, 17 अनुसूचित जनजाति वर्ग से, 104 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। इसी अवधि में 130 महिलायें विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त की गईं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एम ओ पी) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावों के पहल का उत्तरदायित्व होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावों के पहल का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर होता है । हालाँकि, सरकार की प्रतिबद्धता न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने की है और वह लगातार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर समुचित विचार किया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके। केवल वही व्यक्ति, जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (न्यायाधीशों की अनुशंसा समिति) द्वारा की जाती है, उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

****